न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 68 / 2023

प्रार्थी :–

1. बाबूलाल पुत्र श्री सुखाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम तजालिया पीपरली तहसील लूणी जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. देवाराम पुत्र श्री फुलाराम, जाति मेघवाल निवासी ग्राम तजालिया पीपरली, तहसील लूणी जिला जोधपुर
2. अनोप पुत्र श्री पारसराम, जाति मेघवाल निवासी ग्राम पीपरली, तहसील लूणी जिला जोधपुर
3. झमकू पुत्री जोगाराम, पत्नि श्री धन्नारामजी, जाति मेघवाल निवासी ग्राम डोली तहसील झंवर जिला जोधपुर
4. डायाराम पुत्र श्री बुधारामजी जाति मेघवाल निवासी ग्राम पीपरली तहसील लूणी जिला जोधपुर।
5. पुनाराम पुत्र श्री हराराम, जाति मेघवाल निवासी ग्राम पीपरली तहसील लूणी जिला जोधपुर।
6. प्रकाश पुत्र श्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पीपरली तहसील लूणी जिला जोधपुर।
7. पुष्पा पत्नी श्री पारसराम, जाति मेघवाल निवासी ग्राम पीपरली तहसील लूणी जिला जोधपुर।
8. पुष्पा पुत्री मोहनराम, पत्नि श्री सुरेन्द्र, जाति मेघवाल निवासी मसूरिया मेघवाल हॉस्टल के पीछे जोधपुर।
9. पानी पुत्री हराराम, पत्नि श्री दुर्गाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर
10. बाबूराम पुत्र श्री बुधाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पीपरली तहसील लूणी, जिला जोधपुर
11. बींजाराम पुत्र श्री बुधारामजी जाति मेघवाल निवासी ग्राम पीपरली तहसील लूणी जिला जोधपुर
12. कमली पुत्री हमीराराम, पत्नी श्री डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी दिवान्दी तहसील रोहट जिला पाली।
13. भिंडा पुत्री हमराराम, पत्नि श्री रतनारामजी जाति मेघवाल निवासी खिंचिया दईपड़ा तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
14. लाखाराम पुत्र श्री जोगारामजी, जाति मेघवाल निवासी ग्राम पीपरली तहसील लूणी जिला जोधपुर
15. वसना पुत्री हमीराराम, पत्नी श्री भूराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुंधाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर
16. सुआ पुत्री जोगाराम पत्नि श्री मांगीलालजी जाति मेघवाल निवासी हाजी खाण्डी तहसील रोहट जिला पाली।
17. सन्तोष पुत्र श्री मोहनरामजी पत्नि श्री पप्पारामजी, जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुंधाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
18. सुरेन्द्र पुत्र श्री पारसरामजी जाति मेघवाल निवासी ग्राम पीपरली तहसील लूणी जिला जोधपुर
19. सूराराम पुत्र श्री मोहनराम, जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुंधाड़ा तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
20. सांवलराम पुत्र श्री हराराम, जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
21. हंजा पुत्री हमीराराम पत्नि श्री मालारामजी, जाति मेघवाल निवासी ग्राम सेनाई, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

22. केवलराम पुत्र श्री जोगारामजी जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

23. किरण पुत्र श्री पारसराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पीपरली तहसील लूणी जिला जोधपुर

24. गीता पुत्री हमीराराम पत्नि श्री अमरारामजी, जाति मेघवाल, निवासी दिवान्दी तहसील रोहट जिला पाली

25. घेवरराम पुत्र श्री हरारामजी, जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर

26. चन्द्राराम पुत्र श्री जोगाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधुपर।

27. चेलाराम पुत्र फुलारामजी जाति मेघवाल निवासी ग्राम तजालिया नाड़ा तहसील लूणी जिला जोधुपर।

28. छगनाराम पुत्र श्री बुधारामजी जाति मेघवाल निवासी ग्राम तजालिया तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

29. जगाराम पुत्र श्री किस्तुररा़जी, जाति मेघवाल निवासी ग्राम तजालिया तहसील लूणी जिला जोधपुर

30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थिति नहीं।

दिनांक :– 01-07-2025

–: आदेश :–

पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की ख़ातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम तजालिया. तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 49/7 रकचा 1.5783 हैक्टेयर आयी हुई स्थित हैं। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि के पश्चिम दिशा की तरफ खसरा संख्या 42 की कुल रकबा 25.8998 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या एक से 28 की खातेदारी की कृषि भूमि एवं खसरा संख्या 41 रकबा 2.1619 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 29 की खातेदारी की कृषि भूमि आयी हुई स्थित हैं उसके पश्चात रास्ता आया हुआ स्थित है। मुख्य कटाणी रास्ते से लेकर प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 49/7 में आने–जाने हेतु किसी प्रकार का कोई रास्ता/कटाणी रास्ता वर्तमान में मौजुद नहीं है। उक्त कटाणी रास्ते से प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु खसरा संख्या 42 एवं खसरा संख्या 41 के खातेदारों से प्रार्थी द्वारा कटाणी रास्ते से लेकर उक्त दोनो खसरों में से प्रार्थी के खेत तक आने जाने हेतु 15 फुट का रास्ता कटाण करवा करवाने हेतु ने निवेदन किये जाने पर अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया । इस कारण से प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर खेती भी नहीं कर पा रहां हैं एवं रास्ते के अभाव में प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि बंजर भूमि का रूप ले रही हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे गये सबसे लघुतम एवं निकटतम रास्ते का नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया जिसे ए से बी से सी मार्क कर 15 फुट चौड़ाई का दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते के बदले में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी, अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि अदा करने हेतु तैयार हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खेत में आने जाने हेतु खसरा संख्या 42 एवं खसरा संख्या 41 में 15 फुट चौड़ाई का रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिसकी विधिवत तामिल प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल की गई। अप्रार्थीगण को जवाब वास्ते न्यायहित में अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद प्रार्थना पत्र के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 30 तहसीलदार लूणी को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। जिस पर तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/313 दिनांक 23.05.2025 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट के अननुसार ग्राम तजालिया में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 49/7 में आने जाने हेतु संलग्न मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा दिनांक 14.05.2025 के अनुसार खसरा नंबर 41 एवं 42 में बिन्दू A से B, B से GH व EF तक रास्ता कायम करने की अनुशंषा की गयी जिसे मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता मौके पर चालू एवं एकमात्र रास्ता है एवं इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण को जवाब वास्ते न्यायहित में अनेक अवसर दिये गये, परन्तु जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

एक पक्षीय बहस सूनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चुंकि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु किसी प्रकार का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा तहसीलदार लूणी द्वारा पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट एंव मौका रिपोर्ट के अनुसार बिन्दू A से B, B से GH व EF तक प्रस्तावित रास्ते को मौके पर चालू एवं एकमात्र रास्ता बताया जाकर रास्ता कायम करने हेतु अनुशंषा की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 49/7 में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 41 व 42 ग्राम तजालिया तहसील लूणी की कृषि भूमि में से तहसीलदार लूणी के रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे अनुसार बिन्दू A से B, B से GH व EF तक 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जाता है। तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि उक्त खसरा नम्बर 41 व 42 ग्राम तजालिया तहसील लूणी में से मौका फर्द सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क A से B, B से GH व EF तक भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अमल दरामद व तरमीम करे। मौके पर रास्ता कायम कर खुलवाया जावें। उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिफल की राशि का तहसीलदार लूणी द्वारा गणना कर प्रार्थी को अवगत करवाने पर प्रार्थी उक्त राशि की चैक अथवा डी.डी. बनाकर तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करें। मौका फर्द दिनांक 14.05.2025 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जाए। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

(पुखराज कासौटिया आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी